>

Title: Election of 02 members from Lok Sabha to serve as members of the National Jute Board.

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to move:

"That in pursuance of clause (b) of sub-section 4 of section 3 of the National Jute Board Act, 2008, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Jute Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, जूट बोर्ड में दो-चार मेंबर्स बढ़ा दीजिए, क्योंकि बंगाल, ओडिशा, असम, बिहार सारे जूट बेल्ट में है। वहां के लोगों को जूट बोर्ड में थोड़ा रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 7, डॉ हर्षवर्धन जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सभा पटल पर पत्र रखते समय कोई भी माननीय सदस्य खड़ा नहीं होता। आप नए सदस्य हैं, आपसे पुन: आग्रह करता हूं। आप तो वरिष्ठ सदस्य भी हैं। सभा पटल पर पत्र रखते समय कभी भी कोई माननीय सदस्य सदन में खड़ा नहीं होता।